आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 02/13–14

फुलेन्द्र साव वनाम् गोरा हलवाई एवं अन्य

आदेश

18.12.15

आवेदक फुलेन्द्र साव पिता स्व० चन्द्रदेव साव ग्राम उसरी बाजार थाना मेहन्दिया अंचल कलेर जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम उसरी बाजार थाना मेहन्दिया जिला अरवल में अवस्थित है,निम्नः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
82	2704	22 डी०	उ०–विजय सौण्ड्रिक द०–नीज (वादी) पू०–नीज (वादी) प०– गुलजारी हलवाई वगैरह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के पिता स्व० चन्द्रदेव साव ने निम्नाकिंत विवरणी के अनुसार विवादित भूमि को क्रय किया हैः–

विक्रेता का नाम	वसिका सं०/बिक्री की तिथि	रकवा
स्व० रामधनी सिंह पिता स्व० बासुदेव सिंह	13273/28.10.67	1 कट्ठा
स्व० रामधनी सिंह पिता स्व० बासुदेव सिंह	5154/16.04.70	2 कट्ठा
रामलखन हलवाई पिता बाबूलाल हलवाई	13272/28.10.67	4 कट्ठा

उपरोक्त भूमि क्रय करने के बाद आवेदक के पिता रसीद कटाकर दखल कब्जा में आये। विवादित भूमि का आवेदक जब नापी कराने गये तो विपक्षीगण के द्वारा विवाद पैदा किया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि के ठीक पश्चिम तरफ विपक्षीगण का भूमि प्लॉट नं० 2702 है जिसकी एराजी 06

डी० है और जिसपर प्रतिवादीगण का काफी पूर्व लगभग 60–70 वर्ष से मकान बना हुआ है जिसमें प्रतिवादीगण सपरिवार शांतिपूर्वक रहते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त विवादित भूमि की नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त से करायी गई और नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया गया। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि में 2 धूर रकवा विपक्षी के पुराना मकान में धूसा हुआ है।

चुंकि विपक्षी का मकान काफी पूर्व का बना हुआ है,जिसमें विवादित भूमि का 2 धूर रकवा धूसा हुआ है,पुराने मकान को तोड़कर आवेदक को कब्जा नही दिलाय जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।